# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

## 1–तिलक मार्ग, लखनऊ

डीजी परिपत्र संख्या– 53 दिनांकःलखनऊःसितम्बर 01, 2016

1–समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
2–समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

उपनिबन्धक, सशस्त्र बल अधिकरण, क्षेत्रीय न्यायपीठ लखनऊ के पत्र दिनॉक 10–8–2016 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि सेना के समक्ष यह गम्भीर समस्या है कि अधिकरण के द्वारा सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को भेजे गये ऐप्रिहेन्शन रोल (Apprehension rolls) बिना किसी कार्यवाही के अनिश्चित काल तक लम्बित पड़े रहते हैं जबकि ऐसे भगोड़े निर्बाध रूप से अपना जीवन यापन करते रहते हैं। इस स्थिति पर अधिकरण द्वारा गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गयी है। उन्होंने उ0प्र0 शासन व इस मुख्यालय से इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की है।

2– ज्ञातव्य है कि सशस्त्र सेना बल अधिकरण की स्थापना "दि आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट, 2007" के अन्तर्गत की गयी है जिसमें अन्य कार्यों के अतिरिक्त सेना के किसी भी सदस्य को कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों के अन्तर्गत अभित्याज्यक (deserter) घोषित करने का अधिकार भी सम्मिलित है तथा उक्त अभित्याज्यक (deserter) के सम्बन्ध में अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु उनके द्वारा ऐसे अभित्याज्यक (deserter) के विरूद्ध ऐप्रिहेन्शन रोल (Apprehension rolls) निष्पादन हेतु पुलिस अधिकारियों को प्रेषित किये जाते हैं।

3– आप अवगत हैं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41, जिसमें किसी पुलिस अधिकारी को बिना वारन्ट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान की गयी है, के उपबन्ध– "च" के अनुसार कोई पुलिस अधिकारी **"जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी के अभित्याज्यक (deserter) होने का उचित संदेह हो,"** को बिना वारण्ट गिरफ्तार कर सकता है।

4– इससे स्पष्ट है कि ऐसे व्यक्ति, जिसके बारे में किसी भी पुलिस अधिकारी को युक्तियुक्त रूप से यह विश्वास हो जाये कि वह सेना से भगोड़ा(deserter) है, उसे कोई बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर सकता है । ऐसी स्थिति में यदि सेना सशस्त्र बल अधिकरण विधिक रूप से किसी को भगोड़ा(deserter) घोषित करता है तथा उसके सम्बन्ध में ऐप्रिहेन्शन रोल (Apprehension rolls) जारी करता है तब उक्त भगोड़े(deserter) को गिरफ्तार करना पुलिस अधिकारी का विधिक दायित्व बन जाता है क्योंकि अधिकरण द्वारा जारी ऐप्रिहेन्शन रोल (Apprehension rolls) उक्त व्यक्ति का सेना से भगोड़ा (deserter) होने का यथेष्ट युक्तियुक्त प्रमाण है ।

5— उक्त विधिक प्राविधान के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि सशस्त्र बल ट्रिब्युनल को कतिपय सीमित संदर्भों में अपराधिक न्यायालय की भी मान्यता प्राप्त है । ऐसी स्थिति में ऐप्रिहेन्शन रोल (Apprehension rolls) के उपरान्त भी भगोड़ों को गिरफ्तार न करना जहॉ विधिक कर्तव्यों के प्रति लापरवाही का प्रभाव है वहीं सेना जैसे महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विभाग के सुचारू संचालन में भी बाधक होता है।

6— अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ सभी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को यह स्पष्ट कर दें कि सेना से भगोड़े/लापता कर्मियों के सम्बन्ध में भेजे जाने वाले ऐप्रिहेन्शन रोल (Apprehension rolls) को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाय तथा उनका शतप्रतिशत क्रियान्वयन/तामीला सुनिश्चित कराया जाय । इस विषय में अब किसी भी प्रकार की शिकायत का अवसर प्राप्त होने पर अधीनस्थ कर्मियों के साथ–साथ जनपदीय पुलिस अधीक्षकों के द्वारा भी अपने विधिक दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता का परिचायक माना जायेगा ।

(जावीद अहमद)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।